



उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2
संख्या-10/2024/515/94-स्टा0नि0-2-2024-700(30)/2024
लखनऊ, दिनांक 11 जून, 2024

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या-2, सन् 1899) की धारा-9 की उपधारा-(1) के खण्ड-(क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के अधीन, **उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2024** के प्रस्तर-9 के के उपबंधों के अनुसार पूर्वोक्त नीति के प्रस्तर 8.1.3 में यथावर्णित पात्र परियोजनाओं हेतु नीचे अनुसूची के स्तम्भ में दर्शित लिखत के सम्बन्ध में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में नीचे अनुसूची के स्तम्भ 4 में उल्लिखित सीमा तक छूट प्रदान करते हैं -

उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2024	प्रयोजन एवं ब्यौरे	लिखत की प्रकृति	छूट की सीमा
1	2	3	4
प्रस्तर-9	(एक)सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/केन्द्र सरकार /राज्य सरकार के सह उद्यम को ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं की स्थापना के लिए 30 वर्ष की अवधि हेतु ग्राम समाज/सरकारी भूमि रू० 1/प्रति एकड़/ प्रतिवर्ष की दर से पट्टे पर लेने पर।	1- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-1(ख) के अनुच्छेद-35 के खण्ड-(क) के उपखण्ड-(v) के अधीन पट्टा	100%
	(दो) निजी निवेशकों को ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं की स्थापना के लिए 30 वर्ष की अवधि हेतु ग्राम समाज/सरकारी भूमि रू० 15000/-प्रति एकड़/प्रति वर्ष की दर से पट्टे पर लेने पर।		
	(तीन)ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं की स्थापना के लिए इस नीति के अधीन भूमि क्रय करने पर।	2- भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची-1(ख) के अनुच्छेद-23 के खण्ड-(क) के अधीन हस्तान्तरण एवं अनुच्छेद 35 के अधीन पट्टा।	

इस अधिसूचना के अधीन पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों के अध्वधीन है:-

- 1- इस अधिसूचना के अधीन छूट तभी अनुमन्य होगी, जब जिला मजिस्ट्रेट/मूल विभाग का जिला स्तर से अनिम्र पदाधिकारी द्वारा लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि की गई हो कि विलेख का निष्पादन **उ०प्र० ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2024** के अधीन हो रहा है तथा उक्त प्रयोजन हेतु साक्षी के रूप में हस्ताक्षर भी किया गया हो।

- 2- स्टाम्प शुल्क छूट के समतुल्य धनराशि सम्बन्धित जिला के जिला मजिस्ट्रेट के पक्ष में अप्रतिसंहरणीय बैंक प्रत्याभूति, ऐसे विलेख के रजिस्ट्रीकरण के समय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। बैंक प्रत्याभूति की विधि मान्यता अवधि अन्यून 5 वर्ष होनी चाहिए।
- 3- इस अधिसूचना में उल्लिखित उपबन्ध नीति के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष तक प्रवृत्त रहेंगे। यदि किन्हीं कारणों से उक्त नीति समाप्त की जाती है तो इस अधिसूचना के अधीन छूट उक्त नीति के प्रत्याहरण के दिनांक से स्वतः प्रतिसंहत समझी जायेगी।
- 4- अधिसूचित उपबन्धों का क्रियान्वयन, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 31-3-2023 के विद्यमान प्रक्रिया सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया जायेगा।

आज्ञा से,

लीना जौहरी

प्रमुख सचिव।

संख्या-10/2024/515(1)/94-स्टा0नि0-2-2024, तददिनांक।

हिन्दी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मद्रणालय, ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इस दिनांक 11 जून, 2024 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0 लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

रवीश गुप्ता

विशेष सचिव।

संख्या-10/2024/515(2)/94-स्टा0नि0-2-2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार महालेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- स्टाफ आफसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
- 5- महानिरीक्षक निबंधन/आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह

अनु सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 10/2024/515/94-S.R.-2-2024-700(30)/2024, Dated 11 June, 2024

Notification

Order

No.10/2024/515/94-S.R.-2-2024-700(30)/2024

Lucknow, Dated : 11 June, 2024

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh, Hon'ble Governor, is pleased to **remit the stamp duty**, under this notification, chargeable in respect of the instrument shown in column-3 of the schedule below, in accordance with the provisions of paragraph-9 of the **Uttar Pradesh Green Hydrogen Policy 2024**, to the eligible projects as described in paragraph-8.1.3 of the said policy, to the extent mentioned in column- 4 of the table below:-

Table

Uttar Pradesh Green Hydrogen Policy 2024	Purpose and Details	Nature of Instruments	Extent of Remission
1	2	3	4
Para 9	(i)On the lease of the Gram Samaj/ government land at the rate of Rs 1/ per acre/per year for a period of 30 years to the Public Sector Undertakings/Joint venture of the Central Government/State Government for setting up green hydrogen projects.	Lease under sub clause-(v) of clause-(a) of Article-35 of the schedule-1(B), Indian Stamp Act. 1899	100%
	(ii)On the lease of the Gram Samaj/ government land to private investors for setting up green hydrogen projects at the rate of Rs. 15000/- per acre/per year for a period of 30 years.		
	(iii)On the purchase of the land under this policy for setting up green hydrogen projects	Conveyance under clause (a) of Article 23 and lease under Article 35 of the schedule 1(B), Indian Stamp Act. 1899	

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

The aforesaid exemption under this notification is subject to the following terms and conditions:-

- 1-The exemption of the notification shall be available if the District Magistrate / Officer of parental department, not below the designation of district level, of the concerned district shall confirm in the instrument that the deed is being executed under the **Uttar Pradesh Green Hydrogen Policy 2024**, and also sign as a witness for the said purpose.
- 2-Irrevocable Bank Guarantee of the amount equivalent to the remission of stamp duty in favour of the District Magistrate of the concerned district shall be presented before the registration officers at the time of the registration of such deed. The validity period of the bank guarantee should not be less than 05 years.
- 3-The provisions mentioned in this notification will remain in force for 05 years from the date of the commencement of the policy. In case the said policy comes to end, by any means, the remittance under this notification shall be considered to be revoked by itself from the date of the withdrawal of the said policy.
- 4-The implementation of the notified provisions shall be done according to the extant procedural guidelines of the G.O. dated 31-03-2023 issued by the Stamp and Registration Department.

By order,

Leena Johri
Pramukh Sachiv.